न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–।।, गाजीपुर

दण्डवाद सं0 12/2020

राज्य – प्रति – सूरज

दिनांक :15.12.2021 **पी.डब्ल्यू –01**

मैं **मंशा राम गुप्ता पुत्र स्व0 मोती लाल गुप्ता**, उम्र लगभग 50 वर्ष, हाल तैनाती थाना करीमुद्दीनपुर, जिला–गाजीपुर, शपथ पूर्वक बयान करता हूॅ कि दिनांक 01.08.2020 को मैं, एस.एस.आई. के पद पर थाना जमानियां में तैनात था। मैं, व हमराही कां0 गोविन्द सिंह शान्ति व्यवस्था डयूटी बकरीद, क्षेत्र कस्बा जमानियां कंकड़वा घाट पर मामूर थे। जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति झोले में अवैध गांजा लिए कस्बा पाण्डेय मोड़ से दुरहियां पहुंचने वाला है।

इस सूचना पर विश्वास करके मैं एस.एस.आई. हमराही कां0 गोविन्द सिंह मय मुखविर खास के साथ कंकड़वा घाट पर एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर बइतमिनान कोई संदिग्ध वस्तु न होने पर रवाना होकर दुरहियां बैरियर के पास पहुंचे कि मुखविर खास द्वारा एक व्यक्ति जो कि दाहिने हाथ में झोला लिये हुए था के तरफ इशारा करके चला गया। हम पुलिस वाले इशारा किये गये व्यक्ति के पास जैसे ही पहुंचे कि वह व्यक्ति बैरियर लांघ कर भागना चाहा की 40 कदम की दूरी पर कास्बे के अन्दर जाने वाले रास्ते पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पुछा गया तो अपना नाम सूरज गुप्ता पुत्र मदन गुप्ता ग्राम लोदीपुर थाना जमानियां जिला गाजीपुर उम्र 26 वर्ष बताया और भागने का कारण पुछा गया तो बताया कि इस झोले में गांजा है। इस लिए भाग रहा था और अपनी गलती का माफी मांगने लगा। तब उससे कहा गया कि तुम्हारे पास नाजायज गांजा हैं तुम्हारी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के यहां होगा। तो उपरोक्त ने कहां कि साहब जब आप लोगों ने पकड़ ही लिया है तो हमें आप लोगों पर पूर्ण विश्वास है। आप ही लोग मेरा जामा तलाशी ले लिजिए।

पकड़े गये उपरोक्त व्यक्ति से सहमति पत्र तैयार कर उसपर उसका हस्ताक्षर बनवाकर उसके दाहिने हाथ में लिए हुए झोले में पेपर में लिपटा हुआ नाजायज गांजा बरामद हुआ। उसको तौलने के लिए कांस्टेबल गोविन्द सिंह से बाजार से इलेक्ट्रानिक तराजू मंगाकर तौला गया तो 01 किलो व 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। जिसमें से 100 ग्राम बतौर नमूना निकाल कर शेष माल को उसी पेपर में लिपट कर झोला में रखकर और सफेद कपड़े में रखकर सर्व सील मुहर किया गया व नमूना मुहर तैयार किया गया व उपरोक्त व्यक्ति से गांजा रखने का अधिकार मांगा गया तो वह दिखाने में विफल रहा। तब उसको जुर्म धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध बताकर समय 22:00 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। दौरान गिरफ्तारी बहुत से लोग आ गये लेकिन गवाही के नाम पर हट बढ़ गये।

फर्द मेरे द्वारा टॉर्च की रोशनी में मौके पर लिखकर, पढ़ और सबको सुनाकर सबका हस्ताक्षर बनवाया गया व फर्द की एक कापी अभियुक्त को दी गयी। गिरफतारी की सूचना अभियुक्त के घर भेजवायी गयी। फर्द शामिल पत्रावली कागज सं0 5अ गवाह ने अपने लेख, वर्णन व हस्ताक्षर की तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श क1 डाला गया व अभियुक्त की सहमति पत्र शामिल पत्रावली 8अ को देख कर तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क2 डाला गया। व इस मुकदमें का माल सील बंद अवस्था में मेरे सामने है। इस घटना के संबंध में विवेचक ने मेरा बयान लिया है तथा मेरे ही निशान देही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया था।

प्रतिपरीक्षा X X X X X X X X

रवानगी शान्ति व्यवस्था बकरीद त्यौहार के लिए हुई थी। थाने से मेरी रवानगी कब हुई थी मुझे नहीं मालूम है। मुखबिर द्वारा मुखबिरी की सूचना मुझे 09:15 बजे रात्रि में दी गयी थी। मुझे सूचना कंकड़वा घाट कस्बा जमानिया पर दिया गया था। मैं कोई मुखबिरी मेमो नहीं बनाया था। मुखबिरी मेमो बनाने का कोई नियम नहीं है। कंकड़वा घाट से दुरहिया तिरहा लगभग 01 किमी0 की दूरी पर है। थाने से मुल्जिम के घर की दूरी 500 मीटर है। इसकी मां विधवा है चाय पानी की दुकान करती है मुझे नहीं मालूम है। जब मुझे मुखबिरी की सूचना मिली तो वहीं पर मैं व मेरे साथ सिपाही आपस में एक दूसरे की तलाशी लेकर दुरहिया तिराहें पर गये। मुखबिर हम लोगों के साथ गया था। मुखबिर अपनी बाइक लिया हुआ था।

कंकड़वा घाट से दुरहिया बैरियर पहुंचने लगभग 10–15 मिनट लगा होगा। दुरहिया बैरियर से सटे मुसलिम बस्ती व बाजार है। वहां पर अगल बगल दुकाने भी है। हम लोग ज्योंहि दुरहिया बैरियर के पास पहुंचे तभी मुल्जिम आता दिखायी दिया और मुखबिर के इशारे पर उसे पकड़ लिया गया। गिरफतारी के समय कोई पब्लिक का आदमी नावक्त होने की वजह से कोई नहीं पहुंचा था। अभियुक्त पाण्डेय मोड़ की तरफ से दुरहिया के तरफ आ रहा था। मुखबिर द्वारा बताने पर हम लोगों से 40–45 मीटर दूर था। मुल्जिम बैरियर लांघ रहा था तभी हम लोग पकड़ लिये थे।

मुल्जिम को हम लोग बतायें थे कि तुम्हारा अधिकार है कि तुम चाहो तो अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकते हो। मैं अपने फर्द में मुल्जिम के अधिकार की बात नहीं लिखा हूॅ। बल्कि मैं ये लिखा हूॅ कि चलिए आप की तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जायेगी। दोनों का मतलब यही है इस लिए मैंने अधिकार की बात नहीं लिखा है। हम लोग मुल्जिम को अपनी तलाशी नहीं दिये और न ही हम दोनों कर्मचारीगण मुल्जिम के सामने अपनी जामा तलाशी लिये थे।

तराजू कां0 गोविन्द सिंह से मंगवाये थे। वे तराजू कहां से लाये मुझे नहीं मालूम। वही बता सकते हैं। फर्द मैंने मौके पर ही लिखा था। मैं केवल गांजा का वजन किया था। झोले का वजन नहीं किया था। मैं मौके से ही नमूना मुहर निकाला था और शेष गांजे को उसी झोले में सील कर दिया था। मैं नमूना मुहर व माल पर अपनी व्यक्तिगत सील लगाया था। उस पर अभियुक्त का भी हस्ताक्षर बनवाया था। विवेचक ने नमूना माल को जांच हेतु भेजा होगा। मैंने बरामद शुदा माल व नमूना माल का आमद थाने पर कराया था।

पत्रावली में नमूना माल व नमूना मुहर उपलब्ध नहीं है और न ही पत्रावली में कोई जांच रिपोर्ट है। मुझे दुरहिया बैरियर पर लिखा पढ़ी करने में लगभग 45 मिनट लगा था। अभियुक्त के गिरफतारी की सूचना अभियुक्त की पत्नी शिप्पी गुप्ता को दी गयी थी। बरामद शुदा माल पर अभियुक्त सूरज गुप्ता का कोई हस्ताक्षर नहीं है। मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता। बरामद शुदा माल पर मेरे हमराही कां0 गोविन्द सिंह का भी हस्ताक्षर नहीं है।

यह कहना गलत है कि अभियुक्त को थाने पर बेगारी न करने की वजह से घर से पकड़ कर फर्जी मुकदमें में मुल्जिम बना कर व थाने पर बैठे–बैठे फर्जी तरीके से अभियुक्त के विरूद्ध सारी कार्यवाही की गयी है।

सुनकर तस्दीक किया

बयान मेरे बोलने पर टाईप किया गया।